संख्या-64/2023/602/52-1-2023-1717434

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 22 जून, 2023**

विषय- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशासनिक मद की धनराशि निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण के पत्र सं0-1272/अ0सं0क0नि0/ /ब्ला0ले0फैसि0/193/2023 दिनांक 09.06.2023, पत्र सं0-942/अ0सं0क0नि0/ पी0एम0जे0वी0के0/ब्लाक ले0फै0सी0/193/2022-23 दिनांक 27.05.2023 एवं पत्र सं0-668/अ0सं0क0नि0/1245/पी0एम0जे0वी0के0-आई0टी0सेल/2023 दिनांक 10.05.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत ब्लाक लेवल फैसिलिटेटरों एवं कम्प्यूटर आपरेटरों का अद्यतन वचनबद्ध व्यय का भुगतान एस0एन0ए0 पूल खाते के राजस्व मद से करने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार की नवीन गाइड लाइन के प्रस्तर 3.11 Administrative Cost के उप प्रस्तर 3.11.1 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार एस0एन0ए0 पूल खाते से वित्तीय वर्ष 2021-22 व वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्माणाधीन परियोजनाओं पर व्यय की गयी कुल धनराशि की 02 प्रतिशत प्रशासनिक मद की धनराशि रू0 511.304 लाख व गत वर्षों की संगत व्यय हेतु 02 प्रतिशत प्रशासनिक मद की अवशेष/अप्रयुक्त धनराशि रू0 99.12 लाख जो एस0एन0ए0 में जमा है अर्थात **कुल धनराशि रू0 610.424 लाख (रू0 छः करोड़ दस लाख बयालीस हजार चार सौ मात्र)** प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत

http://shasanadesh.up.gov.in

फैसिलिटेटरों के मानदेय के भुगतान/आई0टी0 प्रोफेशनल, जी0ओ0 टैगिंग, बेस लाइन सर्वे योजना का अनुश्रवण एवं मूल्याकंन सम्बन्धी कार्यक्रम मीडिया संचार प्रचार-प्रसार व योजना के क्रियान्वयन रणनीति बनाये जाने सम्बन्धी कार्यों के अद्यतन बचनबद्ध व्यय का **भुगतान एस0एन0ए0 के राजस्व मद से आहरित कर व्यय किये जाने की अनुमति के बिन्दु पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।**

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1) वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17.03.2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(3) अवमुक्त धनराशि का व्यय केवल योजनान्तर्गत कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटरों एवं ब्लाक लेवल फैसिलिटेटरों के पारिश्रमिक पर ही किया जायेगा तथा भुगतान सेवा प्रदाता एजेन्सी को ही किया जायेगा। कार्मिकों की संख्या व उनके कार्य के औचित्य का सत्यापन किये जाने के उपरान्त ही धनराशि निर्गत की जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका, सुसंगत प्राविधानों एवं वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) धनराशि का आवंटन (एलॉटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

(6) उक्त मानदेय का भुगतान सम्बन्धी आदेश एस0एन0ए0 में जमा धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत करने का उत्तरदायित्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण का होगा।

(7) **प्रश्नगत कार्य हेतु प्रस्तर-2 में उल्लिखित धनराशि के व्यय की अनुमति/सहमति इस शर्त एवं प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि भारत सरकार की नवीन गाइड लाइन्स द्वारा प्रशासनिक व्यय हेतु अनुमन्य 02 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत व्यय किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।**

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा।

(9) केन्द्रपोषित योजनाओं के अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष की अवशेष धनराशि के वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑफिस मेमोरेन्डम संख्या-I/(33)/PFMS/2022 दिनांक 20 मई, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

(10) अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त सम्बन्धित सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर उपभोग प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या-602(1)/बावन-1-2023-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
6. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को अपर मुख्य सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. **सम्बन्धित जनपदों** के जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
10. लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in